17

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2024-25)
अठारहवीं लोक सभा

योजना मंत्रालय

[योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

सत्रहवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जुलाई, 2025/ श्रावण, 1947 (शक)

सत्रहवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2024-25)

(अट्ठारहवीं लोक सभा)

योजना मंत्रालय

[योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

31 जुलाई, 2025 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
31जुलाई, 2025 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जुलाई, 2025/ श्रावण, 1947 (शक)

विषय वस्तु		
प्रतिवेदन		
समिति की संरचना		(iv)
प्रस्तावना		(vi)
भाग-एक **पाठ का विश्लेषण**		
		पृष्ठ संख्या
अध्याय – एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय – दो	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	6
अध्याय – तीन	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	14
अध्याय – चार	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	15
अध्याय – पांच	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	16
	अनुबंध	
	29.07.2025 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश	17
	परिशिष्ट	
	योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	20

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की संरचना

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अरुण भारती
3. श्री पी. पी.चौधरी
4. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
5. श्री गौरव गोगोई
6. श्री के.गोपीनाथ
7. श्री सुरेश कुमार कश्यप
8. श्री किशोरी लाल
9. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक
10. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
11. श्री अरुण नेहरू
12. श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन
13. डॉ. सी. एम.रमेश
14. श्रीमती संध्या राय
15. प्रो. सौगत राय
16. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी
17. डॉ. जयंत कुमार राय
18. डॉ. के.सुधाकर
19. श्री मनीश तिवारी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी

राज्य सभा

22. श्री पी. चिदम्बरम
23. श्री मिलिंद मुरली देवड़ा
24. डॉ .अशोक कुमार मित्तल
25. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी
26. श्री एस.सेल्वागनबेथी
27. श्री संजय सेठ
28. डॉ. दिनेश शर्मा

29. श्रीमती दर्शना सिंह
30. डॉ. मु. तंबि दुरै
31. श्री प्रमोद तिवारी

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री गौरव गोयल	संयुक्त सचिव
2.	श्री विनय प्रदीप बरवा	निदेशक
3.	श्री कुलदीप सिंह राणा	उप सचिव
4.	सुश्री वंदना	समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, वित्त संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) के संबंध में समिति (अठारहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. चौथा प्रतिवेदन 06 दिसंबर, 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था /राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। योजना मंत्रालय से टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण 4 मार्च, 2025 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 29 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

6. समिति, लोक सभा सचिवालय की इस समिति से संबद्ध अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी भी सराहना करना चाहेगी ।

नई दिल्ली;
29 जुलाई, 2025
07 श्रावण, 1947 (शक)

भर्तृहरि महताब
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन योजना मंत्रालय कि अनुदानों के मांगों(2024-25) के संबंध में चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है, जिसे 16 दिसम्बर, 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था/ राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

1.2 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 07 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकारसे की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं । उनका विश्लेषण किया गया है और उन्हें निम्नवत श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(एक) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
सिफारिश सं. 1,2,3,4,5,6,7

(कुल-07)
(अध्याय-दो)

(दो) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:

(कुल- 00)
(अध्याय-तीन)

(तीन) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं:

(कुल-00)
(अध्याय-चार)

(चार) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

(कुल 00)
(अध्याय-पाँच)

1.3 समिति चाहती है कि अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के उत्तर समिति को जल्द प्रस्तुत किए जाए।

1.4 समिति अब, अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी और उन पर टिप्पणी करेगी ।

सिफारिश क्रमसंख्या 2

<u>अटल नवाचार मिशन (एआईएम)</u>

1.5 समिति नोट करती है कि अटल इनोवेशन मिशन की फ्लैगशिप स्कीम के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट आवंटन 155 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि वित्त वर्ष 2023-24 में आवंटित बजट का कम उपयोग किया गया, जहां 155 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक केवल 96.82 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया, जो कि आवंटित बजट का केवल 62.46% है। योजना मंत्रालय ने बताया है कि एआईएम कार्यक्रम पर नए सिरे से ध्यान देने के उद्देश्य से चल रही पुनर्निर्माण प्रक्रिया के कारण आवंटित बजट का कम उपयोग हुआ है, और इसलिए, पुनर्निर्माण प्रक्रिया के पूरा होने तक कोई नई देयता सृजित नहीं की गई । हालांकि, पुनर्निर्माण प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से एआईएम के तहत अन्य पहलों जैसे, अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) के नेटवर्क विस्तार की प्रगति पर पड़ा है। उन्होंने सूचित किया है कि 10,000 प्रयोगशालाओं का वर्तमान एटीएल नेटवर्क केवल 5% से कम माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इस संबंध में, योजना मंत्रालय ने अवगत कराया है कि एटीएल नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है और एआईएम कार्यक्रम को पुन: तैयार किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। पुनर्निर्माण प्रयोग ने वर्ष 2022-23 में भी 07 परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित किया है। इसलिए, समिति योजना मंत्रालय से एआईएम की रिकास्टिंग में तेजी लाने की सिफारिश करती है ताकि मंजूरी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके और एआईएम की अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत अन्य पहलों और कार्यक्रमों को शुरू किया जा सके जिनमें इस कारण से विलंब हो रहा है।

1.6 योजना मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"समिति की टिप्पणियों पर कार्रवाई की गई है। मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक के माध्यम से एआईएम को 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस अनुमोदन में नए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) कार्यक्रम का शिक्षा मंत्रालय में संक्रमण शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निधि का अस्थायी रूप से कम उपयोग एआईएम के इस संक्रमण चरण के कारण हुआ है।

मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ, एआईएम अगले चरण के लिए अनुमोदित पहलों के कार्यान्वयन में तेजी ला रहा है।"

1.7 समिति संतोष के साथ नोट करती है कि मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन कार्यक्रम को 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसमें एआईएम कार्यक्रम के अगले चरण में कुछ नई पहलों को लागू किया जाना है। समिति यह भी नोट करती है कि एआईएम के कार्यान्वयन के तौर-तरीके भी बदल दिए गए हैं और अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) कार्यक्रम को नीति आयोग से शिक्षा मंत्रालय (एमओई) में भेज दिया गया है। और अब, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग के सहयोग से एटीएल नेटवर्क बिछाएगा। समिति को उम्मीद है कि अब मंत्रिमंडल की अपेक्षित मंजूरी के साथ, एआईएम कार्यक्रम आवश्यक गति पकड़ लेगा और आने वाले वित्त वर्षों में बजटीय अनुदानों के कम उपयोग की निगरानी करेगा और एआईएम के संक्रमण चरण के कारण होने वाली निधियों का अस्थायी कम उपयोग अतीत की बात हो जाएगी।

सिफारिश क्रमसंख्या 3

<u>अटल टिंकरिंग लैब्स नेटवर्क</u>

1.8 समिति नोट करती है कि सरकार ने भारतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) का एक विशाल नेटवर्क सफलतापूर्वक स्थापित किया है। समिति सबसे पहले महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति के लिए योजना मंत्रालय की सराहना करती है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग संख्या में एटीएल स्थापित किए गए हैं, जिनमें संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में 2 एटीएल से लेकर महाराष्ट्र राज्य में 1033 एटीएल तक शामिल हैं। इन एटीएल की संख्या और नेटवर्क वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रफल के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। आश्चर्यजनक रूप से, राजस्थान जैसे विशाल राज्य में केवल 511 एटीएल स्थापित किए गए हैं, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे काफी छोटी क्षेत्रीय सीमाओं वाले राज्यों के पास एटीएल का एक प्रभावशाली नेटवर्क है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी एटीएल का तुलनात्मक रूप से कम कवरेज है। समिति आगे यह भी पाती है कि एटीएल नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है। समिति सिफारिश करती है कि एटीएल के दूसरे चरण में इस तरह की असमानताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और एटीएल नेटवर्क सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समान रूप से कवर करे। समिति यह भी चाहती है कि योजना मंत्रालय को न केवल एटीएल स्थापित करने के सीमित लक्ष्य तक ही सीमित रहना चाहिए, बल्कि उसे बाधाओं को दूर करने और सभी के लिए एटीएल तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे।

1.9 योजना मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"अटल नवाचार मिशन (एआईएम) भारतीय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) के वितरण के संबंध में की गई टिप्पणियों की सराहना करता है। राज्य-वार स्थापित एटीएल की संख्या में भिन्नता कई कारकों से उत्पन्न होती है, जिसमें एटीएल के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों की संख्या, नवाचार संबंधी बुनियादी ढांचे की क्षेत्रीय मांग और एटीएल के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों के बीच तत्परता के विभिन्न स्तर शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर,2024 को आयोजित अपनी बैठक के माध्यम से एआईएम को 31 मार्च,2028 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी में नए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और एटीएल कार्यक्रम को एटीएल 2.0 ढांचे के तहत शिक्षा मंत्रालय को सौंपना शामिल है (एमओई), जो एटीएल संतृप्ति और निरंतर नवाचार पर केंद्रित है। इस मंजूरी के हिस्से के रूप में:

1. शिक्षा मंत्रालय (एमओई) देश भर में एटीएल की संतृप्ति का नेतृत्व करेगा और सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में एटीएल का समान वितरण सुनिश्चित करेगा। एआईएम स्कूली शिक्षा प्रणाली के भीतर एटीएल को एकीकृत करने, बाधाओं को दूर करने और सभी के लिए एटीएल तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहा है।

2. एटीएल को प्रौद्योगिकीय प्रगति और विकसित हो रहे शिक्षा इकोसिस्टम के साथ संरेखित रखने के लिए, एआईएम एटीएल कार्यक्रम के नवाचार पहलू का नेतृत्व करेगा। इसका ध्यान प्रारंभिक परियोजनाओं के संचालन पर रहेगा, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा।

3. एआईएम पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख सहित सीमांत क्षेत्रों में 2,500 नए एटीएल स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि इन क्षेत्रों में छात्रों के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। एआईएम इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त एक अनुकूलित टेम्पलेट विकसित करेगा। इन एटीएल को अंततः शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

1.10 समिति नोट करती है कि एटीएल 2.0 के कार्यान्वयन को नीति आयोग से शिक्षा मंत्रालय (एमओई) में स्थानांतरित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय वर्तमान टेम्पलेट के अनुसार एटीएल की संख्या को 'अधिकतम सीमा तक लाने' का कार्य करेगा और एआईएम

मौजूदा टेम्पलेट के विकास में सहायता करेगा। समिति इस तथ्य को भी नोट करती है कि चूंकि एटीएल नेटवर्क का वितरण एटीएल के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों की संख्या, नवाचार बुनियादी ढांचे की क्षेत्रीय मांगआदि जैसे कई कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए, शिक्षा मंत्रालय संक्रमण के बाद सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एटीएल की संख्या को अधिकतम सीमा तक लाने और उसके न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित होगा। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि एआईएम अब कार्यक्रम के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगा जैसे कि पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सहित देश के सीमांत क्षेत्रों में 2,500 नए एटीएल स्थापित करने के लिए क्षेत्र विशेष के अनुरूप टेम्पलेट विकसित करना और साथ ही एटीएल को तकनीकी प्रगति और विकसित शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संरेखित करने के लिए नवाचार पहलू का नेतृत्व करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं का संचालन करना।इस संबंध में, समिति यह भी नोट करती है कि केंद्रीय बजट (2025-26) में माननीय वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में देश भर में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्थापित करने की घोषणा की है। समिति आशान्वित है और उसकी राय है कि एटीएल की स्थापना का काम मंत्रालय को सौंपने से इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को अधिक दक्षता और समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

अध्याय – दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश क्रम संख्या 1

<u>बजट का विश्लेषण</u>

समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2024-25 के लिए योजना मंत्रालय का कुल बजट आवंटन 837.26 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अलावा अन्य व्यय के लिए 205.26 करोड़ रुपये और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के लिए 632.00 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। बजट अनुमान 2023-24 की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 में केवल 1.56% की मामूली वृद्धि हुई, जो बढ़कर 824.39 करोड़ रुपये हो गया। समितिने नोट किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक व्यय 290.81 करोड़ रुपये था जो बजट अनुमान का केवल 35.27% था। आबंटित अनुदानों के कम उपयोग के लिए जिला स्तर पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम/आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत निधि उपयोग की धीमी गति, अटल नवाचार मिशन को नया रूप देने और नई प्रतिबद्ध देयताओं के सृजन पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए कतिपय प्रतिबंधों जैसे कारक जिम्मेदार रहे हैं।समिति का दृढ़ मत है कि हस्तक्षेप करने वाले सभी जिम्मेदार कारक अप्रत्याशित नहीं थे और सावधानीपूर्वक वित्तीय नियोजन आबंटित अनुदानों के कम उपयोग को रोक सकता था। एआईएम का पुनर्गठन अचानक नहीं हुआ था और योजना के लिए निधि आवंटित करते समय इस पर पहले ही विचार किया जा सकता था। इष्टतम संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण वित्तीय नियोजन का महत्वपूर्ण घटक है और एक शीर्ष में निधियों की पार्किंग आवश्यक निधियों की अन्य प्राथमिकताओं के लिए निधि की कमी हो सकती है। संशोधित अनुमान स्तर पर समिति की राय में मंत्रालय को निधियों के उपयोग की गति और बजट सहायता की मांग के आधार पर निधियों की संभावित आवश्यकताओं का अधिक सटीकता के साथ आकलन और अनुमान लगाने की स्थिति में होना चाहिए, इसलिए यह संशोधित अनुमान स्तर पर वास्तविक अनुमानित आवश्यकताओं की प्राथमिकता में होनी चाहिए। समिति आशा करती है और सिफारिश करती है कि मंत्रालय भविष्य में उपलब्ध मौद्रिक संसाधनों के आबंटन और उपयोग के संबंध में राजकोषीय रूप से अधिक विवेकपूर्ण रहे।

सरकार का उत्तर

माननीय समिति की सिफारिशें अनुपालन के लिए नोट कर ली गई हैं और संबंधित व्यय प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अपनी संबंधित

स्कीमों/परियोजनाओं के लिए बजट आबंटन प्राप्त करें और अप्रयुक्त निधियों को अग्रिम अथवा संशोधित अनुमान स्तर पर अभ्यर्पित कर देंताकि सरकार द्वारा निधियों का उपयोग अन्य प्राथमिकताओं में किया जा सके।

[योजना मंत्रालय का.ज्ञा. सं.18/7/2024-संसद (पार्ट) दिनांक 28.02.2025]

सिफारिश क्रम संख्या 2

<u>अटल नवाचार मिशन (एआईएम)</u>

समिति यह नोट करती है कि अटल इनोवेशन मिशन की फ्लैगशिप स्कीम के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट आवंटन 155 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। समिति ने आगे नोट किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में आवंटित बजट का कम उपयोग किया गया, जहां वास्तविक बजट अनुमान 155 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 96.82 करोड़ रुपये था, जो प्रतिशत दर में आवंटित बजट का केवल 62.46% है। योजना मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि एआईएम कार्यक्रम को नए सिरे से ध्यान देने के उद्देश्य से चल रही पुनर्निर्माण प्रक्रिया के कारण कम उपयोग हुआ है और इसलिए पुनर्निर्माण प्रक्रिया के पूरा होने तक कोई नई देयता सृजित नहीं की गई । हालांकि, पुनर्निर्माण प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से एआईएम के तहत अन्य पहलों जैसे, अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) के नेटवर्क विस्तार की प्रगति पर पड़ा है। उन्होंने सूचित किया है कि 10,000 प्रयोगशालाओं का वर्तमान एटीएल नेटवर्क केवल 5% से कम माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इस संबंध में, योजना मंत्रालय ने अवगत कराया है कि एटीएल नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है और एआईएम कार्यक्रम को पुन: तैयार किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। पुनर्निर्माण पद्धति ने वर्ष 2022-23 में भी परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित किया है। अत: समिति योजना मंत्रालय से एआईएम के नवीकरण में तेजी लाने की सिफारिश करती है ताकि मंजूरी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके औरएआईएम की अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत अन्य पहलों और कार्यक्रमों को शुरू किया जा सके जो इस कारण विलंब का सामना कर रहे हैं।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति की टिप्पणियों पर कार्रवाई की गई है। मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक के माध्यम से एआईएम को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस अनुमोदन में नए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) कार्यक्रम का शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तन शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निधि का अस्थायी रूप से कम

उपयोग एआईएम के इस परिवर्तन चरण के कारण हुआ है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ, एआईएम अगले चरण के लिए अनुमोदित पहलों के कार्यान्वयन में तेजी ला रहा है।

[योजना मंत्रालय का.ज्ञा. सं.18/7/2024- संसद (पार्ट) दिनांक 28.02.2025]

(समिति की टिप्पणियों केई लिए कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.7 देखिए)

सिफारिश क्रम संख्या 3

<u>अटल टिंकरिंग लैब्स नेटवर्क</u>

समिति यह नोट करती है कि सरकार ने भारतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) का एक विशाल नेटवर्क सफलतापूर्वक स्थापित किया है। समिति सबसे पहले महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति के लिए योजना मंत्रालय की सराहना करना चाहेगी। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग संख्या में एटीएलस्थापित किए गए हैं, जिनमें संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में 2 एटीएल से लेकर महाराष्ट्र राज्य में 1033 एटीएल तक शामिल हैं। इन एटीएल की संख्या और नेटवर्क वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रफल के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। आश्चर्यजनक रूप से, राजस्थान जैसे विशाल राज्य में केवल 511 एटीएलस्थापित किए गए हैं और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे काफी छोटी क्षेत्रीय सीमाओं वाले राज्यों के पास अपने निपटान में एटीएलका एक प्रभावशाली नेटवर्क है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी एटीएलका तुलनात्मक रूप से कम कवरेज है। समिति ने आगे निरीक्षण किया कि एटीएलनेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है। समिति ने सिफारिश की है कि एटीएल के दूसरे चरण में इस तरह की असमानताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और एटीएल नेटवर्क को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समान रूप से कवर करना होगा। समिति यह भी चाहती है कि योजना मंत्रालय को न केवल एटीएल स्थापित करने के सीमित लक्ष्य तक ही सीमित रहना चाहिए, बल्कि उसे बाधाओं को दूर करने और सभी के लिए एटीएल तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) भारतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंमें अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) के वितरण के संबंध में की गई टिप्पणियों की सराहना करता है। राज्यवार स्थापित एटीएल की संख्या में भिन्नता कई कारकों से उत्पन्न होती है, जिसमें एटीएल के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों की संख्या, नवाचार सम्बन्धी बुनियादी ढांचे की क्षेत्रीय मांग और एटीएल के कार्यान्वयन

का समर्थन करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रोंके स्कूलों के बीच तत्परता के विभिन्न स्तर शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक के माध्यम से एआईएम को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी में नए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और एटीएल कार्यक्रम को एटीएल 2.0 ढांचे के तहत शिक्षा मंत्रालय (एमओई) को सौंपना शामिल है, जो एटीएल संतृप्ति और निरंतर नवाचार पर केंद्रित है। इस मंजूरी के हिस्से के रूप में:

1. शिक्षा मंत्रालय (एमओई) देश भर में एटीएल की संतृप्ति का नेतृत्व करेगाऔरसभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में एटीएल का समान वितरण सुनिश्चित करेगा। एआईएम स्कूली शिक्षा प्रणाली के भीतर एटीएल को एकीकृत करने, बाधाओं को दूर करने और सभी के लिए एटीएल तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहा है।

2. एटीएल को प्रौद्योगिकीय प्रगति और विकसित हो रहे शिक्षा इकोसिस्टम के साथ संरेखित रखने के लिए, एआईएम एटीएल कार्यक्रम के नवाचार पहलू का नेतृत्व करेगा। इसका ध्यान प्रारंभिक परियोजनाओं के संचालन पर रहेगा, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा।

3. एआईएम पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख सहित **सीमांत क्षेत्रों** में **2,500 नए एटीएल** स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि इन क्षेत्रों में छात्रों के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। एआईएम इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त एक अनुकूलित टेम्पलेट विकसित करेगा। इन एटीएल को अंततः शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

[योजना मंत्रालय का.ज्ञा. सं.18/7/2024- संसद (पार्ट) दिनांक 28.02.2025]

(समिति की टिप्पणियों केई लिए कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.10 देखिए)

सिफारिश क्रम संख्या 4

<u>आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)/आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी)</u>

समिति यह नोट करती है कि एडीपी/एबीपी की सफलता पूरी तरह से उन आंकड़ों की सत्यता पर निर्भर करती है, जिन पर जिलों और ब्लॉकों का मूल्यांकन और उनकी रैंकिंग प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर की जाती है। विभिन्न स्रोतों से संबंधित चरणों में एकत्र किए गए

आंकड़ों के गहन विश्लेषण के माध्यम से ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों और ब्लॉकों को प्रोत्साहित किया जाता है और अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाती है। समिति ने संतोष व्यक्त किया कि नीति आयोग वर्तमान में एडीपी के तहत आंकड़ों को एकत्र करने और उनकी सत्यता सुनिश्चित करने के लिए तीन चरणीय सत्यापन कार्यनीति का उपयोग कर रहा है। एबीपी के मामले में, संबंधित मंत्रालयों द्वारा बनाए गए डेटाबेस से सीधे डेटा प्राप्त किया जा रहा है। हालांकि समिति की राय है कि मंत्रालय को अपने डेटा संग्रह तकनीकों को और बेहतर बनाने के लिए अपने उपकरणों और तकनीकों को विकसित करना जारी रखना चाहिए और डेटा मानकों को स्थापित करने के लिए पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित/यादृच्छिक डेटा गुणवत्ता जांच जैसी विधियों को भी अपनाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करेगी कि स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों में जमीनी हकीकत के करीब काम करने वाले फील्ड अधिकारियों के लिए नियमित कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए ताकि डेटा प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जा सके और उन्हें साझा किया जा सके। फोकल प्रशासनिक इकाइयों को अन्य सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि उनके द्वारा बनाए गए सूचना और ज्ञान डेटाबेस का लाभ उठाया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति की सिफारिशों पर गौर किया गया है। नीति आयोग नियमित बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संबंधित मंत्रालयों और जिलों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेगा, जिसमें विकसित उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

[योजना मंत्रालय का.ज्ञा. सं.18/7/2024- संसद (पार्ट) दिनांक 28.02.2025]

सिफारिश क्रम संख्या 5

<u>सम्पूर्णता अभियान</u>

समिति यह नोट करती है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)/आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) ने 49 प्रमुख संकेतकों में प्रदर्शन के आधार पर देश के अपेक्षाकृत अल्पविकसित जिलों/ब्लॉकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, भारत के सबसे अल्पविकसित क्षेत्रों में तेजी से और प्रभावी विकास के लिए, सरकार ने 3 महीने की अवधि में स्वास्थ्य और पोषण और पोषण शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास/वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के विषयों में 6 महत्वपूर्ण संकेतकों की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए जुलाई, 2024 में 'सम्पूर्णता अभियान नामक'एक केंद्रित अभियान शुरू

किया था। समिति यह देखकर संतुष्ट है कि इस अभ्यास से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं क्योंकि अब तक 21 आकांक्षी जिले और 90 आकांक्षी ब्लॉक तीन महीने की अल्प अवधि में सभी 6 संकेतकों को सफलतापूर्वक संतृप्त कर चुके हैं। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि नीति आयोग को केपीआई के संबंध में शेष सभी जिलों और ब्लॉकों में संतृप्ति की गति बढ़ाने के लिए भविष्य में इस तरह के और अधिक केंद्रित अभियान और मुहिम तैयार और आयोजित करनी चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है। सम्पूर्णता अभियान के पहले चरण में, संतृप्ति के लिए छह केपीआईकी पहचान की गई थी। एडीपीऔर एबीपीके तहत सम्पूर्णता अभियान जैसे ही केंद्रित अभियान आयोजित किए जाएंगे।

[योजना मंत्रालय का.ज्ञा. सं.18/7/2024- संसद (पार्ट) दिनांक 28.02.2025]

सिफारिश क्रम संख्या 6

<u>राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)</u>

समिति यह नोट करती है कि 2022-23 से 2024-25 के दौरान कार्यान्वयन हेतु वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में 'राज्य सहायता मिशन' की घोषणा की गई थी। इस केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के तहत इच्छुक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 'राज्य परिवर्तन संस्थाएं (एसआईटी)' स्थापित की गई हैं ताकि उन्हें अपने संबंधित सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और इंडियन विज़न @2047 के साथ संरेखण में अपनी कार्यनीतियों और स्टेट विज़न@2047 और अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को विकसित करने और उनके मौजूदा योजना विभागों की भूमिका की पुनर्कल्पना करने में सहायता मिल सके। समिति को सूचित किया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में एसएसएम की मिशन कार्यान्वयन समिति (एमआईसी) ने निधियों के संवितरण हेतु 15 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्ताव/ कार्य योजना को स्वीकृति दी थी। तथापि, बजट शीर्ष सहायता अनुदान, सामान्य में, निधि की कमी के कारण उपलब्ध 14 करोड़ रुपए की धनराशि में से 12.8 करोड़ रु. 8 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरित किए गए थे। समिति यह देखकर चिंतित है कि राज्य सहायता मिशन जैसी महत्वपूर्ण पहलें जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नीति आयोग के संरचित और संस्थागत जुड़ाव को बढ़ावा देना है, धनराशि की कमी के कारण रुक रहीं हैं क्योंकि अपेक्षित अनुदान जारी नहीं किए गए थे। समिति का विचार है कि एक सुदृढ़ वित्तीय योजना, उपलब्ध संसाधनों का समय पर आबंटन और गैर-आवश्यक गतिविधियों से निधियों को अंतरित कर आवश्यक कार्यों के लिए प्रयोग करना वित्तपोषण की कमी के कारण परियोजनाओं/कार्यक्रमों को

रोकने की स्थिति को समाप्त कर सकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि भविष्य में स्कीमों/परियोजनाओं में आनेवाली रुकावट से बचने के लिए न केवल पर्याप्त अनुदान आबंटित किया जाना चाहिए बल्कि इसे जारी भी किया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

नोट किया गया। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि वित्त वर्ष 2024-25 में, सहायता अनुदान शीर्ष के तहत एसएसएम को कुल 30.365 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे, जिसके माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/संस्थाओं को धनराशि वितरित की जाती है। जिसमें एसएसएम के तहत धनराशि की मांग करने वाले सभी इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/एलकेआई को धनराशि उपलब्ध कराई गई है। चूंकि एसएसएम एक मांग आधारित स्कीम हैऔर धनराशि की बढ़ती मांग को देखते हुए, आवश्यकता को पूरा करने हेतु पूरक के रूप में 5 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है।

[योजना मंत्रालय का.ज्ञा. सं.18/7/2024- संसद (पार्ट) दिनांक 28.02.2025]

सिफारिश क्रम संख्या 7

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

समिति यह नोट करती है कि नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के 2030 एजेंडे को पूरा करने के लिए नोडल संस्थान है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, नीति आयोग ने एसडीजी प्राप्ति की दिशा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की निगरानी करने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) जैसे निगरानी उपकरण विकसित किए हैं ।समिति ने आगे नोट किया कि राष्ट्रीय एमपीआई राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय प्रदर्शन का सावधानीपूर्वक आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एमपीआई की निगरानी तंत्र और पद्धतियों का उपयोग करता है जो गरीबी पर बहुआयामी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति के साथ राष्ट्रीय एमपीआई के संरेखण ने गरीबी पर बहुआयामी परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है तथा इसने काफी हद तक राष्ट्र, राज्य तथा जिला-स्तर पर बहुआयामी गरीबी को कम करने में मदद की है । समिति मानती है कि 2030 के एजेंडे की प्राप्ति में आवश्यक बल देने के लिए एसडीजी का स्थानीकरण एक सबल तरीका है।नीति आयोग की राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक-एक प्रगति समीक्षा 2023' में शामिल टिप्पणियों से इस तथ्य की पुष्टि

हुई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारत एसडीजी लक्ष्य 1.2 की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक गरीबी में रह रहे सभी आयु वर्ग के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करना है।

इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ राज्यों में सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। समिति को बताया गया है कि अन्य पहलों के अनुरूप, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए सतत विकास लक्ष्य समन्वय और त्वरण केंद्र (एसडीजीसीएसी) के निर्माण का भी प्रस्ताव दिया है। समिति ने योजना मंत्रालय को एसडीजी के तेजी से स्थानीयकरण को प्राप्त करने के लिए एसडीजीसीएसी के निर्माण में तेजी लाने की सिफारिश की है क्योंकि 2030 की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी निर्धारित 2030 के लक्ष्य को तेज गति से प्राप्त करने के लिए एसडी के स्थानीयकरण के महत्व पर जोर दिया था।

सरकार का उत्तर

नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और स्थानीयकरण के लिए सतत विकास लक्ष्य समन्वय और त्वरण केंद्रों (एसडीजीसीएसी) की स्थापना में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। अब तक 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसडीजी प्रकोष्ठ/एकक/केंद्र कार्यरत हैं। मौजूदा वर्ष में, 3 राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, मेघालय और आंध्र प्रदेश ने अपने एसडीजी सेल को एसडीजीसीसी में अपग्रेड किया है। नीति आयोग एसडीजीसीएसी की स्थापना में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी करता है और उनके साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करता रहता है।

[योजना मंत्रालय का.ज्ञा. सं.18/7/2024- संसद (पार्ट) दिनांक 28.02.2025]

अध्याय – तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय – चार

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है

-शून्य-

अध्याय – पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
29 जुलाई, 2025
07 श्रावण, 1947 (शक)

भर्तृहरि महताब
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध

<u>वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की तीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

समिति की बैठक मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को 1430 बजे से 1615 बजे तक समिति कमरा संख्या '62', संविधान सदन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

<u>लोकसभा</u>

2. श्री पी.पी.चौधरी
3. श्री के. गोपीनाथ
4. श्री चुड़ासमा राजेशभाई नारणभाई
5. श्री अरुण नेहरू
6. श्रीमती संध्या राय
7. डॉ. जयंतकुमार राय
8. डॉ. के. सुधाकर
9. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
10. श्री प्रभाकररेड्डी वेमिरेड्डी

<u>राज्य सभा</u>

11. श्री एस. सेल्वागनबेथी
12. श्री संजय सेठ
13. श्रीमती दर्शना सिंह

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री गौरव गोयल	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती भारती संजीव टुटेजा	-	निदेशक
3.	श्री कुलदीप सिंह राणा	-	उप सचिव
4.	श्री टी. माथिवनन	-	उप सचिव

<u>भाग – एक</u>

2. XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX.

(तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

भाग – दो

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया:

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक उद्यम और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(तीन) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(चार) योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(पांच) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(छह) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, सार्वजनिक उद्यम तथा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(सात) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(आठ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(नौ) योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

(दस) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(ग्यारह) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

4. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने उपर्युक्त प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को स्वीकार कर लिया तथा सभापति को उन्हें अंतिम रूप देने तथा संसद में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

* * *

परिशिष्ट

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 4)

योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25) 'विषयक चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाईका विश्लेषण

		कुल	कुलका %
(एक)	सिफारिशोंकीकुलसंख्या	07	
(दो)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (सिफारिशें क्रम संख्या 1, 2, 3,4, 5, 6और 7पर दी गई हैं)	07	100%
(तीन)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	शून्य	0.00
(चार)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है	शून्य	0.00
(पांच)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	शून्य	0.00

*****